

बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

पत्र सं०- वि.प्रा. (III) यो.-14 / 2016-

/पटना, दिनांक

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार

वीरचन्द्र पटेल मार्ग, पटना

विषय- विभागान्तर्गत ब्रजकिशोर नारायण सिंह राजकीय पोलिटेकनिक, गोपालगंज में वर्गकक्ष, कार्यालय, कर्मशाला एवं प्रयागशालाओं के लिए आवश्यकता आधारित मशीनें, उपकरण, उपस्कर एवं सॉफ्टवेयर के क्रय एवं अधिष्ठापन हेतु कुल रू. 1,93,92,000=00 (एक करोड़ तीरानवे लाख बानवे हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2018-19 में उक्त राशि संस्थान को विमुक्त करने के संबंध में।

आदेश- स्वीकृत।

राज्य सरकार ने प्राचार्य, ब्रजकिशोर नारायण सिंह राजकीय पोलिटेकनिक, गोपालगंज के पत्रांक-32, दिनांक 08.08.2017 द्वारा मांग की गई राशि के आधार पर विभागीय समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में संस्थान में वर्गकक्ष, कार्यालय, कर्मशाला एवं प्रयागशालाओं के लिए आवश्यकता आधारित मशीनें, उपकरण, उपस्कर एवं सॉफ्टवेयर के क्रय एवं अधिष्ठापन हेतु कुल रू. 1,93,92,000=00 (एक करोड़ तीरानवे लाख बानवे हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2018-19 में उक्त राशि संस्थान को विमुक्त करने की स्वीकृति निम्नवत प्रदान की है -

क्र. सं.	विषयशीर्ष	स्वीकृत राशि (रूपये में)
1	52 01 मशीनें एवं उपस्कर-कार्यालय	33,92,000=00
2	52 02 मशीनें एवं उपस्कर-अन्य	1,60,00,000=00
	कुल	1,93,92,000=00

2. उक्त स्वीकृत राशि, वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य स्कीम बजट के "मुख्यशीर्ष-4202 -शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष -02-तकनीकी शिक्षा, लघुशीर्ष-104-बहुशिल्प, मांग संख्या-43, उपशीर्ष-0109- पोलिटेकनिक (निश्चय)" के अधीन 52 01 मशीनें एवं उपस्कर-कार्यालय तथा 52 02 मशीनें एवं उपस्कर-अन्य विषयशीर्षों में उपबंधित राशि से विकलित होगा, जिसका विपत्र कोड 43-4202021040109 है।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संस्थान के प्राचार्य होंगे।

4. इस राशि की निकासी राजकीय कोषागार, गोपालगंज से की जायेगी।

5. उक्त राशि से सामग्रियों के क्रय हेतु बिहार (वित्त) संशोधित नियमावली-2005 का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा तथा सभी प्रक्रियाओं का विधिवत पालन कर क्रय किया जायेगा।

6. उक्त स्वीकृत राशि से नियमानुसार क्रय की जाने वाली उपस्कर की गुणवत्ता के लिए संस्थान के प्राचार्य सीधे जिम्मेवार होंगे तथा क्रय की गई उपकरण एवं उपस्कर की सूची सहित उसके अधिष्ठापन संबंधी प्रतिवेदन वर्तमान वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। किसी भी परिस्थिति में अनावश्यक एवं आवश्यकता से अधिक सामग्री की खरीदारी नहीं की जाएगी।

7. उक्त स्वीकृत राशि की निकासी, वित्तीय वर्ष 2018-19 में विभाग के लिए संसूचित योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अधीन निर्गत आवंटन तक सीमित रहेगा।

8. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या- 3758 वि., दिनांक 31.05.2017 के आलोक में सक्षम स्वीकृति प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जाता है।

9. वित्त विभाग के पत्रांक- 7355 वि(2), दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इस योजना के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह./ -

(मिर्जा आरिफ रजा)

सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या- वि.प्रा. (III) यो.-14/2016-

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./ -

सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या- वि.प्रा. (III) यो.-14/2016-

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, राजकीय कोषागार, गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./ -

सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या- वि.प्रा. (III) यो.-14/2016-

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- प्राचार्य, ब्रजकिशोर नारायण सिंह राजकीय पोलिटेकनिक, गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./ -

सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या- वि.प्रा. (III) यो.-14/2016-


1172

/पटना, दिनांक-

9-5-2018

प्रतिलिपि:- माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/उप निदेशक (यो)/ बजट सहायक/ आई.टी. मैनेजर (E-mail एवं विभागीय बेवसाइट पर अपलोड हेतु), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

 07/05/18